**बिहार सरकार**

**उद्योग विभाग**

पत्रांक- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 04तक0/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उद्यमी /15/2023

प्रेषक,

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),

बिहार, पटना।

द्वारा:- **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र हेतु प्रशिक्षण व्यय मद में बजट उपबंध रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख) मात्र के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रू0 21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख) मात्र की अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

**आदेश:-** स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत **अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र** हेतु **प्रशिक्षण व्यय** मद में बजट उपबंध रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख) मात्र के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रू0 21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख) मात्र की अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत्यादेश संख्या-3542 दिनांक-22.09.2025 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रू0 39.00 लाख (रूपये उनचालीस लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

3. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृति नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को स्व-रोजगार/उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है।

4. इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रू0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 लाख ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरांत इसकी वसूली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्नहित राशि की वसूली सरकारी भू-राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी।

5. प्रस्तावित राशि की निकासी मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना, विपत्र कोड-23-2851007960117, विषयशीर्ष-0117-20-03 **प्रशिक्षण व्यय मद** में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-782 दिनांक-17.05.2018 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो राज्य सरकार की चालू योजना है।

7. इस राशि की अग्रिम निकासी BTC Form- 26 पर की जायेगी।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगें जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से एकमुश्त राशि बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के खाता संख्या-

39458691215, IFS Code- SBIN0006379 में उपलब्ध करायेंगे, जिसका व्यय **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना** में निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो योजनाका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राशि का DC विपत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी एक प्रति विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 दिनांक-20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के कंडिका-2 के आलोक में किया जायेगा तथा पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या-04तक0/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उद्यमी/15/2023 के पृष्ठ-37/टि0 पर दिनांक-12.01.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय पत्रांक-2890 दिनांक-20.03.2023 के आलोक में अग्रिम की निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का संचिका संख्या 04तक0/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उद्यमी/15/2023 के पृष्ठ-38/टि0 पर दिनांक-15.01.2026 को अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-
(अनिल कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-
सं0सं0- 04तक0/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उद्यमी /15/2023

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 126 /पटना, दिनांक- 27/01/2026
सं0सं0- 04तक0/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उद्यमी /15/2023

प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना /निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/ अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट (MMUY)/प्रभारी पदाधिकारी, योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।